

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/268-I  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

कलेक्टर

जिला-दमोह, म.प्र. ।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण-श्री लोकेश मिश्रा पुत्र स्व.श्री लक्ष्मण कुमार मिश्रा के संबंध में ।

सन्दर्भ:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-दमोह का पत्र क./स्था./2017/21231  
दिनांक 12.10.2017 ।

==00==

विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित पत्र का अवलोकन हो, जिसके माध्यम से स्व.श्री लक्ष्मण कुमार मिश्रा सर्विलेस वर्कर जिला मलेरिया कार्यालय दमोह की दिनांक 01/08/2017 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री लोकेश मिश्रा का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह के अधीन अनारक्षित वर्ग में सहायक ग्रेड-3 के पद रिक्त नहीं होने से संचालनालय को प्राप्त हुआ है। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता अनुसार उसे तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति की पात्रता है।


संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक द्वारा विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद रिक्त नहीं होने से प्रकरण दमोह कलेक्टर को प्रेषित करने हेतु निवेदन करते हुए सहमति प्रदान की है ।

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क.सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कण्डिका 7.2 अनुसार विभाग में प्रदेश की एकजाई वरिष्ठता सूची मृत्यु दिनांक से संधारित की जाती है, जिसमें श्री लोकेश मिश्रा का वरिष्ठता क्रम 126 पर है । वर्तमान में विभाग में अनारक्षित वर्ग में सहायक ग्रेड-3 के 04 पद रिक्त है, किन्तु मृत्यु दिनांक की वरिष्ठता अनुसार इनसे वरिष्ठ आवेदकों को नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त 04 पदों के अतिरिक्त विभाग में सहायक ग्रेड-3 के अनारक्षित वर्ग के पद वर्तमान में रिक्त नहीं है ।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क.सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कण्डिका 07 की उप कण्डिका 7.8 के तहत प्रकरण मूलतः संलग्न कर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है । अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/ कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/269-I  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

1. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर म.प्र. ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला -दमोह म.प्र. ।
3. लोकेश मिश्रा पुत्र स्व.श्री लक्ष्मण कुमार मिश्रा पुराना थाना दमोह म.प्र. ।



अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/264- I

प्रति,

कलेक्टर

जिला-दमोह म.प्र. ।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण- कु.प्रगति नायक पुत्री स्व.श्रीमती पुष्पा नायक जिला-दमोह के संबंध में ।

सन्दर्भ:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह का पत्र क./स्था./2017/1937 दिनांक 30.11.2017 ।

==00==

विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित पत्र का अवलोकन हो, जिसके माध्यम से स्व.श्रीमती पुष्पा नायक ए.एन.एम. सामु.स्वा.के.बटियागढ़ की दिनांक 22.08.2015 को मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पुत्री कु.पुष्पा नायक का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह के अधीन अनारक्षित वर्ग में सहायक ग्रेड-3 के पद रिक्त नहीं होने से संचालनालय को प्राप्त हुआ है। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता अनुसार उसे तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति की पात्रता है।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदिका द्वारा विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद रिक्त नहीं होने से प्रकरण दमोह कलेक्टर को प्रेषित करने हेतु निवेदन करते हुए सहमति प्रदान की है ।

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क.सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कण्डिका 7.2 अनुसार विभाग में प्रदेश की एकजाई वरिष्ठता सूची मृत्यु दिनांक से संधारित की जाती है, जिसमें कु.प्रगती नायक का वरिष्ठता क्रम 62 पर है । वर्तमान में विभाग में अनारक्षित वर्ग में सहायक ग्रेड-3 के 04 पद रिक्त हैं, किन्तु मृत्यु दिनांक की वरिष्ठता अनुसार इनसे वरिष्ठ आवेदकों को नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त 04 पदों के अतिरिक्त विभाग में सहायक ग्रेड-3 के अनारक्षित वर्ग के पद वर्तमान में रिक्त नहीं हैं ।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क.सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कण्डिका 07 की उप कण्डिका 7.8 के तहत प्रकरण मूलतः संलग्न कर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है । अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

CP

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

पृ.कमांक/ कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/265- I

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग सागर म.प्र. ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला -दमोह म.प्र. ।
3. कु.प्रगति नायक पुत्री स्व.श्रीमती पुष्पा नायक ग्राम-खडैरी, बटियागढ़ जिला-दमोह म.प्र. ।

CP

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/266 - I  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

कलेक्टर

जिला-बड़वानी म.प्र. ।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण-आवेदिका कु.कृतिका पिता स्व.श्री प्रकाश वैद्य जिला-बड़वानी में ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 8539/स्थापना/2017 बड़वानी दिनांक 04/10/2017 ।

==00==

विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आपके अधीन सहायक ग्रेड-3 के सामान्य वर्ग के पद रिक्त नहीं होने से प्रकरण पुनः संचालनालय को प्रेषित किया गया है ।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक द्वारा विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद रिक्त नहीं होने से प्रकरण पुनः कलेक्टर बड़वानी को प्रेषित करने हेतु निवेदन किया है । आवेदिका

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क.सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कण्डिका 7.2 अनुसार विभाग में प्रदेश की एकजाई वरिष्ठता सूची मृत्यु दिनांक से संधारित की जाती है, जिसमें कु.कृतिका वैद्य का वरिष्ठता क्रम 56 पर है । वर्तमान में विभाग में अनारक्षित वर्ग में सहायक ग्रेड-3 के 04 पद रिक्त है, किन्तु मृत्यु दिनांक की वरिष्ठता अनुसार इनसे वरिष्ठ आवेदकों को नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है । उपरोक्त 04 पदों के अतिरिक्त विभाग में सहायक ग्रेड-3 के अनारक्षित वर्ग के पद वर्तमान में रिक्त नहीं है ।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क.सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कण्डिका 07 की उप कण्डिका 7.8 के तहत प्रकरण मूलतः संलग्न कर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है । अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/ क्रमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/267 - I  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

1. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर संभाग इंदौर म.प्र. ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला -बड़वानी म.प्र. ।
3. कु.कृतिका पिता स्व.श्री प्रकाश वैद्य मधुबन कॉलोनी जिला-बड़वानी म.प्र. ।



अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/262-I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रति,

कलेक्टर

जिला-शहडोल म.प्र. ।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण-श्री नीरज गौतम पुत्र स्व.डॉ.के.के.गौतम जिला शहडोल के संबंध में ।

सन्दर्भ:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल का पत्र क्र./स्था./2016/6883 दिनांक 10.06.2016 ।

==00==

विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित पत्र का अवलोकन हो, जिसके माध्यम से स्व.डॉ.के.के.गौतम मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वास्थ्य केन्द्र सिंहपुर जिला शहडोल की दिनांक 01.03.2016 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री नीरज गौतम का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शहडोल के अधीन अनारक्षित वर्ग में सहायक ग्रेड-3 के पद रिक्त नहीं होने से संचालनालय को प्राप्त हुआ है। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता अनुसार उसे तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति की पात्रता है।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक द्वारा विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद रिक्त नहीं होने से प्रकरण शहडोल कलेक्टर को प्रेषित करने हेतु निवेदन करते हुए सहमति प्रदान की है ।

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क.सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कण्डिका 7.2 अनुसार विभाग में प्रदेश की एकजाई वरिष्ठता सूची मृत्यु दिनांक से संधारित की जाती है, जिसमें श्री नीरज गौतम का वरिष्ठता क्रम 83 पर है । वर्तमान में विभाग में अनारक्षित वर्ग में सहायक ग्रेड-3 के 04 पद रिक्त है, किन्तु मृत्यु दिनांक की वरिष्ठता अनुसार इनसे वरिष्ठ आवेदकों को नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त 04 पदों के अतिरिक्त विभाग में सहायक ग्रेड-3 के अनारक्षित वर्ग के पद वर्तमान में रिक्त नहीं है ।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क.सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कण्डिका 07 की उप कण्डिका 7.8 के तहत प्रकरण मूलतः संलग्न कर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है । अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

CP

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन) -  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पू.कमांक/ कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/263-I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा म.प्र. ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला -शहडोल म.प्र. ।
3. नीरज गौतम वार्ड नं.19 बैंक आफ बड़ौदा के पास धनपुरी जिला शहडोल म.प्र. ।

CP

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/243- I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रति,

कलेक्टर

जिला-होशंगाबाद, म.प्र. ।

विषय:-अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण-श्री शशांक दुबे पुत्र स्व. सरोज तिवारी जिला होशंगाबाद के संबंध में ।

सन्दर्भ:-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद का पत्र क./अनु.नि./2016/9458 दिनांक 07.06.2016 ।

==00==

विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित पत्र का अवलोकन हो, जिसके माध्यम से स्व.श्रीमती सरोज तिवारी (दुबे) एन.एन.एम. उप स्वास्थ्य केन्द्र सोनतलाई, सुखतवा जिला होशंगाबाद की दिनांक 13.03.2016 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री शशांक दुबे का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद के अधीन अनारक्षित वर्ग में सहायक ग्रेड-3 के पद रिक्त नहीं होने से संचालनालय को प्राप्त हुआ है। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता अनुसार उसे तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति की पात्रता है।


संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक द्वारा विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद रिक्त नहीं होने से प्रकरण कलेक्टर होशंगाबाद को प्रेषित करने हेतु निवेदन करते हुए सहमति प्रदान की है ।

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क.सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कण्डिका 7.2 अनुसार विभाग में प्रदेश की एकजाई वरिष्ठता सूची मृत्यु दिनांक से संधारित की जाती है, जिसमें श्री शशांक दुबे का वरिष्ठता क्रम 85 पर है । वर्तमान में विभाग में अनारक्षित वर्ग में सहायक ग्रेड-3 के 04 पद रिक्त है, किन्तु मृत्यु दिनांक की वरिष्ठता अनुसार इनसे वरिष्ठ आवेदकों को नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त 04 पदों के अतिरिक्त विभाग में सहायक ग्रेड-3 के अनारक्षित वर्ग के पद वर्तमान में रिक्त नहीं है ।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क.सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कण्डिका 07 की उप कण्डिका 7.8 के तहत प्रकरण मूलतः संलग्न कर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है । अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

“आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित”

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/ कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/244- I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला -होशंगाबाद म.प्र. ।
3. श्री शशांक दुबे पता- एल.आई.जी. नं. 54 मर्हिष कॉलोनी इटारसी जिला होशंगाबाद म.प्र. ।



अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश